III नीतिगत परिवेश

भारत में, मौद्रिक नीति के रुख को अक्तूबर 2024 में 'निभाव वापस लेने' से बदलकर 'तटस्थ' कर दिया गया। रिज़र्व बैंक की विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियाँ, जोखिम प्रबंधन पद्धतियों को मजबूत करने, विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के सामंजस्य और उभरते जोखिमों का समाधान करने पर केंद्रित रहीं। रिज़र्व बैंक ने सुशासन और पारदर्शिता पर जोर देते हुए ग्राहक जागरूकता और वित्तीय समावेशन में सुधार के अपने प्रयासों को जारी रखा।

1. परिचय

III.1 स्थिर समष्टि-आर्थिक परिवेश और कुशल विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे का लाभ उठाते हुए भारतीय वित्तीय प्रणाली, वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान विकट वैश्विक चुनौतियों के बावजूद निरंतर सुदृढ़ बनी रही। रिज़र्व बैंक वित्तीय क्षेत्र में उभरते जोखिमों के बारे में सतर्क रहा, साथ ही इस क्षेत्र में नवोन्मेषों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के प्रति भी सचेत रहा। जलवायु संबंधी जोखिमों का समाधान करने के लिए विनियामक पहलों को मजबूत किया गया। रिज़र्व बैंक, साइबर सुदृढ़ता और विनियमित संस्थाओं (आरई) की रिपोर्टिंग दक्षता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग कर रहा है।

III.2 इस पृष्ठभूमि में, अध्याय के खंड 2 में वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान रिज़र्व बैंक के मौद्रिक और चलनिधि प्रबंधन उपायों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है, इसके बाद खंड 3 में विनियामक और पर्यवेक्षी नीतिगत प्रगति संबंधी घटनाक्रमों का विवरण दिया गया है। विभिन्न प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषों से संबंधित नीतियों को खंड 4 में समाविष्ट किया गया है, जबकि वित्तीय बाजारों से संबंधित नीतियों पर खंड 5 में चर्चा की गई है। खंड 6 और 7 में क्रमशः उपभोक्ता संरक्षण, ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन से संबंधित नीतियों की समीक्षा की गई है। खंड 8 में सुरक्षित और संरक्षित परिवेश में भुगतान परितंत्र के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए पहलों का विवरण दिया गया है। खंड 9 में समग्र मूल्यांकन के साथ अध्याय समाप्त होता है।

2. समष्टि आर्थिक नीति निर्धारण

III.3 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 2022-23 के दौरान 250 आधार अंकों (बीपीएस) की संचयी वृद्धि के बाद, मुद्रास्फीति के लगातार लक्ष्य से ऊपर रहने को ध्यान में रखते हुए 2023-24 और 2024-25 (दिसंबर 2024 तक) के दौरान नीतिगत रेपो दर को अपरिवर्तित 6.50 प्रतिशत बनाए रखा। 09 अक्तूबर 2024 को, एमपीसी ने मुद्रास्फीति-वृद्धि की उभरती गतिशीलता के अपने आकलन के आधार पर मौद्रिक नीति के रुख को 'निभाव वापस लेने' से बदलकर 'तटस्थ' करने का निर्णय लिया। इसके बाद 6 दिसंबर 2024 को, संभावित चलनिधि दबाव को कम करने और तटस्थ नीति रुख के अनुरूप, रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों के नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 4.0 प्रतिशत तक कम करने का निर्णय लिया, जो 14 दिसंबर और 28 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाले पखवाड़े में 25 आधार अंक की प्रत्येक, दो बराबर भागों में प्रभावी होगी। इस प्रकार, सीआरआर अप्रैल 2022 में सख्त नीति चक्र के शुरू होने से पहले के स्तर पर आ गई है।

वर्ष 2023-24 के दौरान के घटनाक्रम

III.4 मौद्रिक नीति रुख के समनुरूप, 2023-24 में प्रणालीगत चलनिधि, अधिशेष से घाटे में परिवर्तित हो गई। चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत दैनिक निवल अंतर्वेशन, वर्ष 2022-23 में ₹1.9 लाख करोड़ के औसत दैनिक निवल अवशोषण की तुलना में 2023-24 में ₹485 करोड़ रह गया। वर्ष 2023-24 के दौरान, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत औसत अवशोषण ₹0.90 लाख करोड़ रहा, जो एलएएफ के अंतर्गत औसत दैनिक कुल अवशोषण (₹1.16 लाख करोड़) का 78 प्रतिशत था, जबकि शेष 22 प्रतिशत का अवशोषण, परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) नीलामियों – मुख्य और सुसंगत परिचालनों दोनों, के माध्यम से किया गया। बैंक ने सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) का उपयोग बढ़ाया है और यह वर्ष 2022-23 के दौरान ₹0.06 लाख करोड़ की तुलना में 2023-24 के दौरान ₹0.50 लाख करोड़ की औसत दैनिक उधारी तक पहुंच गई है।

III.5 बैंकों को उनके परिचालन में अधिक लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से 30 दिसंबर 2023 से सप्ताहांत और छुट्टियों के दौरान भी एसडीएफ और एमएसएफ दोनों के तहत चलनिधि सुविधाओं के प्रत्यावर्तन की अनुमति दी गई। 19 मई 2023 और 28 जुलाई 2023 के बीच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की एनडीटीएल में वृद्धि पर 10 प्रतिशत के वृद्धिशील सीआरआर (आई-सीआरआर) को 12 अगस्त 2023 से शुरू होने वाले पखवाड़े से चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रणालीगत चलनिधि को अचानक आघात न पहुंचे और मुद्रा बाजार व्यवस्थित तरीके से काम कर सके।

III.6 भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर) - मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य – 2022-23 में 5.39 प्रतिशत की तुलना में 2023-24 में औसतन 6.63 प्रतिशत रहा, जो नीतिगत रेपो दर में वृद्धि और बदलती चलनिधि स्थितियों को दर्शाता है। संपार्श्विक खंड में एकदिवसीय दरें, डब्ल्यूएसीआर के अनुरूप रहीं। मीयादी मुद्रा खंड में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए 3 महीने के वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) पर प्रतिफल में मजबूती आई, जो अन्य बातों के साथ-साथ 16 नवंबर 2023 को रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित विनियामक उपायों को दर्शाता है। बैंक ऋण में निरंतर दहाई अंकों की वृद्धि के बीच, बैंकों ने जमा प्रमाणपत्र (सीडी) का उपयोग किया। 2023-24 में 3 महीने के खजाना बिल (टी-बिल) पर प्रतिफल स्थिर रहा। हालांकि, मध्यम से दीर्घावधि के बॉण्ड प्रतिफल में मार्च 2023 के स्तर से नरमी आई, जो अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में वृद्धि के बावजूद घरेलू गतिविधियों से प्रेरित है। 8 जून 2023 को रिज़र्व बैंक ने एससीबी [लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और भुगतान बैंकों (पीबी) को छोड़कर] को अपने आंतरिक बोर्डों की स्वीकृति के साथ अंतरबैंक देयताओं के लिए निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर मांग और सूचना पर देय मुद्रा बाजार में उधार लेने के लिए अपनी सीमाएँ निर्धारित करने की अनुमति देकर मुद्रा बाजार परिचालन में अधिक लचीलापन पैदा किया।

वर्ष 2024-25 के दौरान के घटनाक्रम

III.7 वर्ष 2024-25 (17 दिसंबर 2024 तक) के दौरान एलएएफ के तहत औसत दैनिक निवल अवशोषण ₹0.65 लाख करोड़ रहा। जबकि एसडीएफ और रिवर्स रेपो के अंतर्गत औसत दैनिक अवशोषण ₹1.3 लाख करोड़ था, एमएसएफ के तहत औसतन ₹0.07 लाख करोड़ रहा।

III.8 वर्ष 2024-25 (17 दिसंबर 2024 तक) में रेपो दर के अनुरूप डब्ल्यूएसीआर औसतन 6.54 प्रतिशत रहा, जिसमें संपार्श्विक खंडों में एकदिवसीय दरें भी उसी के अनुरूप रहीं। मीयादी मुद्रा खंड में, कम बाजार उधार आवश्यकताओं के बीच बैंकिंग प्रणाली में बेहतर चलनिधि के कारण 3 महीने के टी-बिल पर प्रतिफल में नरमी रही। 2024-25 के दौरान एनबीएफसी

द्वारा जारी सीपी और उनकी सीडी पर प्रतिफल तुलनात्मक रूप से स्थिर रहा। वैश्विक बॉण्ड सूचकांक में भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) को शामिल करने और 2024-25 के लिए केंद्र सरकार द्वारा बजट में बाजार उधार आवश्यकताओं को कम करने के बाद सकारात्मक भाव के कारण वर्ष 2024-25 में घरेलू बॉण्ड प्रतिफल में और कमी आई। अमेरिकी खजाना प्रतिफल में कमी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जैसे वैश्विक कारकों ने भी घरेलू प्रतिफल में कमी लाने में योगदान दिया।

3. विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियां

3.1 *परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालनात्मक सुदृढ़ता*

III.9 बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) के सिद्धांतों के साथ एकीकरण के लिए, 30 अप्रैल 2024 को रिज़र्व बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन सुदृढ़ता पर एक मार्गदर्शन नोट जारी किया। यह, आरई को अपनी परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने और व्यवधान के दौरान भी महत्वपूर्ण संचालन करने में सक्षम बनाने के लिए अपनी परिचालन सुदृढ़ता को बढ़ाने हेतु व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करता है। मार्गदर्शन नोट तीन स्तंभों पर आधारित है यथा तैयारी और सुरक्षा; सुदृढ़ता बनाना; और सीखना और अपनाना। इन तीन स्तंभों में, नोट में 17 सिद्धांत शामिल हैं। मार्गदर्शन नोट में परिचालन सुदृढ़ता के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए, रक्षा की तीन पंक्तियाँ; परिवर्तन प्रबंधन, अंतर्संबंधों और अंतरनिर्भरताओं का निर्धारण; अन्य पक्ष पर निर्भरता प्रबंधन और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) जोखिम का समाधान किया गया है। पहले मार्गदर्शन केवल एससीबी पर लागू था, नवीनतम मार्गदर्शन सभी वाणिज्यिक बैंकों, कतिपय सहकारी बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) और आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) सहित सभी एनबीएफसी को समाविष्ट करता है।

3.2 *धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन*

III.10 रिज़र्व बैंक ने 15 जुलाई 2024 को आरई[1] के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निदेश जारी किए। संशोधित निदेश, सिद्धांत आधारित और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के समग्र अभिशासन और अन्वेक्षा में बोर्ड की भूमिका को मजबूत करते हैं। प्रारंभ में ही धोखाधड़ी का पता लगाने और निवारण के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतकों और रेड फ्लैग्ड खातों (आरएफए) पर ढांचे को और मजबूत किया गया है, जिसमें विधि प्रवर्तक एजेंसियों (एलईए) और पर्यवेक्षकों को समय पर रिपोर्टिंग आदि शामिल हैं। निदेशों के अनुसार अब आरई से स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

3.3 *ऋण में मॉडल जोखिम का प्रबंधन*

III.11 रिज़र्व बैंक ने 5 अगस्त 2024 को आरई को अपने ऋण प्रबंधन में विभिन्न मॉडलों के उपयोग में विवेक और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा परिपत्र जारी किया था। यद्यपि मॉडलों में प्रौद्योगिकी के प्रयोग से निर्णय लेने में तेज़ी आती है, यह मॉडल जोखिम प्रबंधन ढांचे में जटिलता लाता है। मसौदा परिपत्र के अनुसार, आरई द्वारा प्रयुक्त मॉडल या तो आंतरिक रूप से विकसित हो सकते हैं या बाहरी अन्य-पक्ष आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त किए हो सकते हैं या नीति के प्रावधानों के अनुसार दोनों का मिश्रण हो सकते हैं। आरई को व्यापक सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उद्देश्यों में स्पष्टता, मजबूत अवधारणाएँ, विस्तृत

[1] वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं; सहकारी बैंक (शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक); और उच्च स्तर, मध्य स्तर और आधार स्तर में शामिल सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (₹500 करोड़ और उससे अधिक के आस्ति आकार वाली), जिनमें आवास वित्त कंपनियां भी शामिल हैं।

दस्तावेज़ीकरण, मॉडलों की मापनीयता और लचीलापन, और सुसंगत और सत्यापन योग्य परिणाम शामिल हैं। आउटसोर्स किए गए मॉडलों की संपूर्णता और परिणामों के लिए अंततः आरई जिम्मेदार और जवाबदेह होंगे। इसके अलावा, आरई को इन-हाउस या अन्यथा विकसित मॉडलों की मजबूती का आकलन करने के लिए मॉडल विकास/चयन से स्वतंत्र एक मॉडल जांच/सत्यापन प्रक्रिया लागू करने की आवश्यकता होगी।

3.4 *एनबीएफसी को उपभोक्ता ऋण और बैंक ऋण के संबंध में विनियामक उपाय*

III.12 कोविड के बाद, उपभोक्ता ऋण में वृद्धि, विशेष रूप से बेजमानती पोर्टफोलियो में काफी तेजी आई। बैंक उधार पर एनबीएफसी की बढ़ती निर्भरता के कारण परस्पर-संबद्धता बढ़ रही थी। हालाँकि इन ऋण श्रेणियों में दबाव के कोई बड़े संकेत नहीं दिखे, लेकिन इन खंडों में सतत उच्च वृद्धि ने विवेकपूर्ण हस्तक्षेप की आवश्यकता जताई। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने 16 नवंबर 2023 को वाणिज्यिक बैंकों और एनबीएफसी के उपभोक्ता ऋण जोखिम, एससीबी की क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों और एनबीएफसी के प्रति एससीबी का एक्सपोजर, मूल निवेश कंपनियों को छोड़कर, आदि पर जोखिम भार को 25 प्रतिशत अंकों तक बढ़ा दिया। इसके अलावा, आरई को उपभोक्ता ऋण के लिए अपनी जोखिम सीमाओं की समीक्षा करने और विभिन्न उप-खंडों, विशेष रूप से बेजमानती उपभोक्ता ऋण जोखिमों के लिए 29 फरवरी 2024 तक बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमाएँ लागू करने हेतु सूचित किया गया।

3.5 *थोक जमा*

III.13 रिज़र्व बैंक ने 7 जून 2024 को एसएफबी और एससीबी [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर] के लिए ₹3 करोड़ और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एलएबी) और आरआरबी के लिए ₹1 करोड़ और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा करते हुए थोक जमा की परिभाषा को संशोधित किया। पूर्व में 1 जनवरी 2024 को रिज़र्व बैंक ने टियर 3 और 4 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए थोक जमा सीमा को भी ₹15 लाख और उससे अधिक से बढ़ाकर ₹1 करोड़ और उससे अधिक कर दिया था।

3.6 *लघु वित्त बैंकों का स्वैच्छिक रूप से सार्वभौमिक बैंकों में परिवर्तन*

III.14 रिज़र्व बैंक ने एसएफबी को सार्वभौमिक बैंकों में परिवर्तन के लिए 26 अप्रैल 2024 को पात्रता मानदंड जारी किए। पात्रता मानदंड के अनुसार न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए संतोषजनक कार्य-निष्पादन के रिकॉर्ड सहित एसएफबी का अनुसूचित दर्जा होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, मान्य शेयर बाजार पर एसएफबी के शेयर सूचीबद्ध होने चाहिए। इन एसएफबी के लिए पिछली तिमाही के अंत में न्यूनतम निवल मालियत का ₹1,000 करोड़ होना तथा 15 प्रतिशत के जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) के प्रति निर्धारित पूंजी रखना भी आवश्यक है। इसके अलावा, उनके लिए पिछले दो वित्तीय वर्षों में सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) और निवल अनर्जक आस्ति (एनएनपीए) अनुपात क्रमशः 3 प्रतिशत और 1 प्रतिशत से कम या बराबर होना अनिवार्य कर दिया गया है। पात्र एसएफबी को परिवर्तन के लिए एक विस्तृत तर्काधार भी प्रस्तुत करना है।

3.7 *क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड*

III.15 तीव्रता से बदलते कार्ड परितंत्र के साथ विस्तृत विनियमनों को श्रेणीबद्ध करने के लिए रिज़र्व बैंक ने 07 मार्च 2024 को क्रेडिट और डेबिट कार्डों पर अपना मास्टर निदेश संशोधित किया है। रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत सभी बैंकों और एनबीएफसी[2] को कार्ड जारीकर्ताओं के सह-ब्रांडिंग भागीदार

[2] एनबीएफसी-निवेश और ऋण कंपनियां (एनबीएफसी-आईसीसी), आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी), एनबीएफसी-फैक्टर, एनबीएफसी-सूक्ष्म वित्त संस्था (एनबीएफसी-एमएफआई) और एनबीएफसी- इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियां (एनबीएफसी-आईएफसी)।

(सीबीपी) बनने की सामान्य अनुमति प्रदान की गई है। अन्य बातों के साथ-साथ, अन्य परिवर्तनों में क्रेडिट कार्डों के लिए प्रतिरूपी साधन (फॉर्म फैक्टर)[3] जारी करने की अनुमति, कार्ड जारीकर्ताओं को क्रेडिट कार्ड बकाया के लिए भुगतान स्वीकार करने के लिए उनके द्वारा अधिकृत तरीकों को प्रदर्शित करने संबंधी अधिदेश और व्यावसायिक क्रेडिट कार्ड के लिए धन के अंतिम उपयोग की निगरानी करना शामिल हैं। गलत बिलिंग, ग्राहक की जानकारी साझा करने और कार्ड जारीकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने की सूचना देने के संबंध में वर्तमान विनियमनों को भी मजबूत किया गया है कि रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रमाणीकरण ढांचे के अनुसार ही किसी क्रेडिट कार्ड खाते को नामे किया जाए।

3.8 क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था

III.16 अधिकृत कार्ड नेटवर्क क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंकों/ गैर-बैंकों के साथ टाई-अप करते हैं। यह देखा गया कि इन विशिष्ट टाई-अप्स में से कुछ के कारण ग्राहकों के लिए नेटवर्क के विकल्प सीमित हो गए हैं। अतः रिज़र्व बैंक ने 06 मार्च 2024 को निर्देश दिया कि कार्ड जारीकर्ताओं को कार्ड नेटवर्क के साथ कोई ऐसी व्यवस्था या समझौता नहीं करना चाहिए जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो। 10 लाख से अधिक सक्रिय कार्डों वाले कार्ड जारीकर्ताओं को अपने पात्र ग्राहकों को कार्ड जारी करने के समय एकाधिक कार्ड नेटवर्क में से चुनने का विकल्प प्रदान करना चाहिए।

3.9 *बैंकों में अदावी जमा*

III.17 मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, बैंकों के पास रखे गए किसी भी जमा खाते में जमा शेष, जिसका दस साल या उससे अधिक समय से संचालन नहीं किया गया है या दस साल या

चार्ट III.1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में अदावाकृत जमाराशियाँ

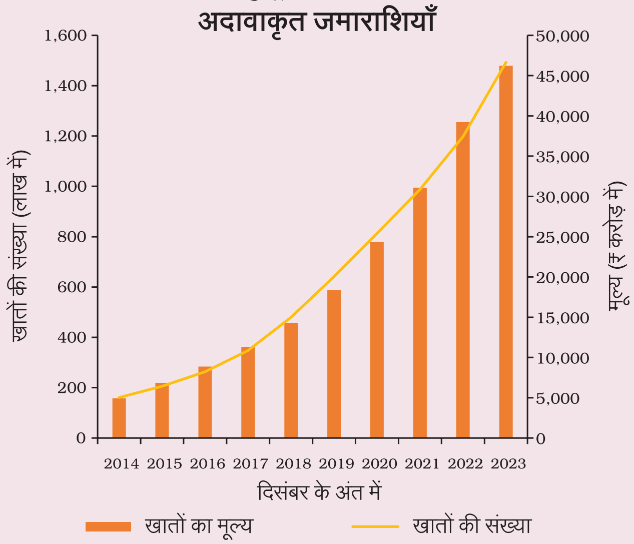

टिप्पणी: डेटा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संबंधी आँकड़े शामिल हैं।
स्रोत: भारत में बैंक-संबंधी सांख्यिकीय सारणियाँ, आरबीआई।

उससे अधिक समय से अदावाकृत कोई राशि, बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि में स्थानांतरित करनी आवश्यक है। 2014 से, अदावी जमा राशि की मात्रा लगातार बढ़ रही है (चार्ट III.1)। बैंकिंग प्रणाली में अदावी जमा राशि की मात्रा को कम करने और ऐसी जमा राशि को उनके सही मालिकों या दावेदारों को वापस करने के लिए 1 जनवरी 2024 को बैंकों में निष्क्रिय खातों/अदावी जमा राशियों के लिए व्यापक संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इन संशोधित अनुदेशों में किए गए प्रमुख बदलावों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने के लिए वीडियो ग्राहक पहचान प्रक्रिया, खाता सक्रिय रखने के लिए कुछ गैर-वित्तीय लेनदेनों और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) को ग्राहक द्वारा कृत लेनदेन के रूप में मानना, समयबद्ध तरीके से गैर-गृह शाखाओं सहित सभी शाखाओं में निष्क्रिय खाते को सक्रिय करने की सुविधा और ग्राहक द्वारा सक्रिय नहीं करने की स्थिति में निष्क्रिय खातों में नामे लेनदेन को प्रतिबंधित करना शामिल हैं। इस संबंध में, रिज़र्व बैंक द्वारा 'अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स - गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन (उद्गम)'

[3] फॉर्म फैक्टर एक भौतिक या आभासी लिखत है जिसका उपयोग भुगतान या बैंकिंग लेनदेन के लिए कार्ड के स्थान पर किया जा सकता है।

पोर्टल का शुभारंभ ग्राहकों की सहायता करने में एक महत्वपूर्ण आकर्षण रहा है[4]।

3.10 विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर(बी)] जमा पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा

III.18 अधिक पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने 6 दिसंबर 2024 को एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा बढ़ा दी। बैंकों को एक वर्ष से लेकर तीन वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि वाली नए एफसीएनआर(बी) जमाराशियों को एकदिवसीय वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) में पहले के 250 आधार अंकों के योग की तुलना में 400 आधार अंक करने की अनुमति दी गई। तीन से पांच वर्ष की परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियों के लिए, अधिकतम सीमा को पूर्व के 350 बीपीएस से बढ़ाकर एकदिवसीय एआरआर में 500 बीपीएस का योग कर दिया गया है। यह छूट 31 मार्च 2025 तक उपलब्ध कराई गई है[5]।

3.11 कारोबारी स्वरूप और निवेश के लिए विवेकपूर्ण विनियमन

III.19 रिज़र्व बैंक ने 4 अक्तूबर 2024 को बैंकों द्वारा अपने मुख्य कारोबार को अन्य जोखिम वाले गैर-मुख्य कारोबारों से अलग रखने के लिए व्यवसाय के स्वरूपों पर मसौदा विनियमन जारी किए। विनियमनों के अनुसार, बैंक समूह के भीतर केवल एक इकाई को अनुमेय कारोबार के एक विशेष स्वरूप को करने की अनुमति होगी। बैंक समूह के भीतर एकाधिक इकाइयों को समान कारोबार करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, बैंक और उसकी समूह इकाइयों द्वारा की जाने वाली ऋण गतिविधियों में किसी भी अतिव्यापन की अनुमति नहीं होगी। बैंकों की एनबीएफसी अनुषंगी इकाइयों को उच्च स्तर में शामिल एनबीएफसी पर लागू स्केल आधारित विनियमनों का अनुपालन करना होगा और वे बैंकों पर लागू ऋण और अग्रिमों पर विनियामक और अन्य प्रतिबंधों के अधीन रहेंगी। इसके अतिरिक्त, इसे दोहराया गया है कि किसी समूह इकाई का उपयोग किसी भी कारोबारी गतिविधि को करने के लिए मूल बैंक या अन्य समूह इकाई पर लागू विनियमों/दिशानिर्देशों को दरकिनार करने के लिए नहीं किया जाएगा, जिसकी अन्यथा अनुमति नहीं है।

3.12 वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन

III.20 निवेशों के वर्गीकरण, मापन और मूल्यांकन पर वैश्विक मानकों में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों, घरेलू वित्तीय बाज़ारों में प्रगति के साथ-साथ पूंजी पर्याप्तता ढांचे पर उनके प्रभावों को ध्यान में रखते हुए 12 सितंबर 2023 को बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा की गई थी। निवेश संविभागों का सिद्धांत आधारित वर्गीकरण; परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) को/से अंतरण और एचटीएम से बाहर की बिक्री संबंधी विनियमनों की सख्ती; कुछ शर्तों की पूर्ति के अधीन एचटीएम में गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियों को शामिल करना; एचटीएम पर अधिकतम सीमाओं को हटाना; उचित कीमत पर लाभ और हानियों का बराबर व्यवहार; ट्रेडिंग के लिए धारित (एचटीएफ) के तहत स्पष्ट रूप से पहचान योग्य ट्रेडिंग बही; एचएफटी के तहत धारण अवधि पर 90 दिन की अधिकतम सीमा को हटाना और निवेश पोर्टफोलियो के और अधिक विस्तृत प्रकटन को अद्यतन मानंदडों में शामिल किया गया है। नए दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के अनुसार बैंकों की निवेश पोर्टफोलियो संरचना के विश्लेषण से पता चलता है कि एचटीएम पोर्टफोलियो में काफी हद तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि एचएफटी पोर्टफोलियो में वृद्धि हुई है और बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) पोर्टफोलियो में कमी आई है। (बॉक्स III.1)।

[4] रिज़र्व बैंक ने 17 अगस्त 2023 को एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल - अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स - गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन (उद्गम) का शुभारंभ किया, ताकि जनता को एक ही स्थान पर विभिन्न बैंकों में अपनी अदावाकृत जमाराशियों का पता लगाने में सुविधा मिल सके।

[5] भारतीय रिज़र्व बैंक (2024)। विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य, 6 दिसंबर।

बॉक्स III.1: निवेश के नए दिशानिर्देश: बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का विश्लेषण

वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही से 2023-24 की चौथी तिमाही के दौरान चुनिंदा एससीबी [12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी); 14 निजी क्षेत्र के बैंक (पीवीबी); और 5 विदेशी बैंक (एफबी)] के कुल निवेश पोर्टफोलियो में एचटीएम श्रेणी का औसत हिस्सा 64.5 प्रतिशत था। नए दिशानिर्देशों को अपनाने के बाद से, यह मोटे तौर पर उसी सीमा - जून 2024 के अंत में 63.6 प्रतिशत, में बना रहा। दूसरी ओर, पुराने दिशानिर्देशों के अनुसार अवशिष्ट श्रेणी वाला एएफएस, जिसकी औसत हिस्सेदारी 33.7 प्रतिशत थी, जो अब घटकर 22.8 प्रतिशत रह गई है, यह मुख्य रूप से संशोधित दिशानिर्देशों में वर्गीकरण पर स्पष्टता को दर्शाती है। एचएफटी श्रेणी की हिस्सेदारी पुरानी व्यवस्था के तहत औसतन 1.8 प्रतिशत थी, वह बढ़कर नए दिशानिर्देशों के अंतर्गत 9 प्रतिशत हो गई है, जिसका श्रेय 90-दिवसीय धारण की अधिकतम सीमा को हटाने के कारण एचएफटी श्रेणी में जाने वाली प्रतिभूतियों और व्युत्पन्नियों के माध्यम से बचाव लाभों को बेहतर ढंग से प्राप्त करने को दिया जा सकता है (चार्ट III.1.1 ए)। बैंक समूहों में, एएफएस की हिस्सेदारी कम हो गई है क्योंकि बैंकों ने अपने पोर्टफोलियो को एचटीएम और एचएफटी श्रेणियों में पुनः आबंटित कर दिया है। पीएसबी की तुलना में पीवीबी और एफबी की एचएफटी श्रेणी की हिस्सेदारी में वृद्धि काफी अधिक थी, जो आंशिक रूप से जोखिम-वहन क्षमता और कारोबारी पद्धति में अंतर को दर्शाती है (चार्ट III.1.1 बी, सी और डी)।

चार्ट III.1.1: बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो

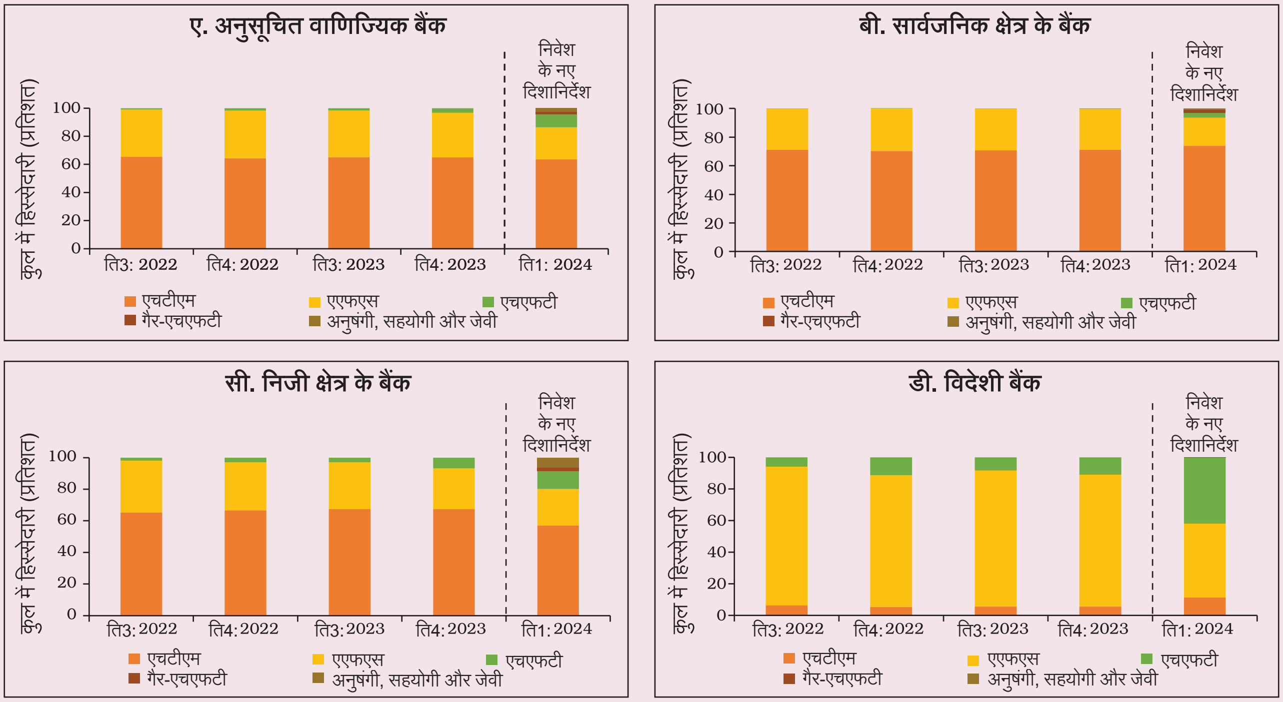

स्रोत: आरबीआई।

पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य के लिए बैंकिंग बही और ट्रेडिंग बही

1 अप्रैल 2024 से संशोधित निवेश मानदंडों के कार्यान्वयन के साथ-साथ, बाजार जोखिमों के लिए पूंजी शुल्क की गणना के उद्देश्य से ट्रेडिंग बही की परिभाषा को भी बीसीबीएस मानकों के अनुरूप संशोधित किया गया था[6]। पूंजीगत प्रभार की गणना के उद्देश्य से अब एएफएस पोर्टफोलियो को एचटीएम पोर्टफोलियो के साथ बैंकिंग बही का हिस्सा माना जा रहा है, पूंजी पर्याप्तता गणना उद्देश्य (एचटीएम+एएफएस) के लिए बैंकिंग बही का आकार बढ़ गया है (चार्ट III.1.2)।

चार्ट III.1.2: बैंकिंग बही की ट्रेडिंग बही से तुलना

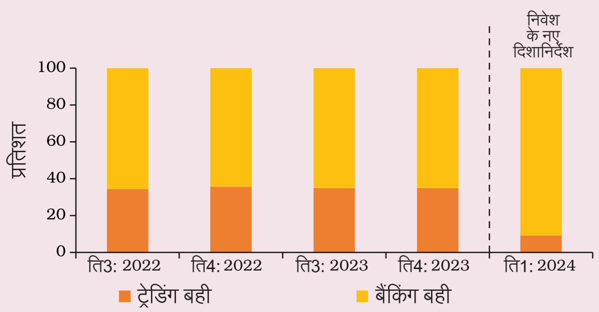

स्रोत: आरबीआई।

[6] बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना के लिए ट्रेडिंग बही जिसमें पहले एएफएस और एचएफटी दोनों शामिल थे, को अब केवल एचएफटी को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है।

बॉक्स III.2: जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों पर प्रकटीकरण ढांचा

विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा जलवायु से संबंधित प्रकटीकरण, जलवायु संबंधी जोखिमों के आकलन और न्यूनीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान में आरई को अपने स्तंभ 3 के प्रकटीकरण के रूप में भौतिक जोखिमों की जानकारी का प्रकट करना आवश्यक है। अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मानकों[7] के अनुरूप, मसौदा रूपरेखा में प्रकटन मानकों को पंक्तिबद्ध किया गया है। इसके अनुसार आरई को चार विषय-क्षेत्र संबंधी स्तंभों, यानी अभिशासन; कार्यनीति; जोखिम प्रबंधन; और मेट्रिक्स और लक्ष्यों पर आधारित जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों और अवसरों के विविध पहलुओं पर सूचनाओं का प्रकटन करना आवश्यक है। निम्नलिखित चार विषय-क्षेत्र संबंधी स्तंभों के तहत आरई द्वारा कुछ क्षेत्र कवर करने की आवश्यकता है -

अभिशासन

- जलवायु संबंधी जोखिमों और अवसरों पर बोर्ड की निगरानी
- जलवायु संबंधी जोखिमों और अवसरों का आकलन और प्रबंधन करने में वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका।

कार्यनीति

- अल्प, मध्यम और दीर्घ अवधि में जलवायु से संबंधित जोखिम और अवसर।
- जलवायु से संबंधित जोखिमों और अवसरों का आरई के कारोबार, कार्यनीति और वित्तीय योजना पर प्रभाव।
- विभिन्न जलवायु परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए आरई की कार्यनीतिक सुदृढ़ता।

जोखिम प्रबंधन

- जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों की पहचान, आकलन, प्राथमिकता, निगरानी और प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं और संबंधित नीतियां।
- परंपरागत जोखिम प्रबंधन के साथ जलवायु-संबंधी जोखिम प्रबंधन का एकीकरण।

मेट्रिक्स और लक्ष्य

- जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों और अवसरों का आकलन करने के लिए उनकी कार्यनीति और जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं के अनुरूप उपयोग किए जाने वाले मेट्रिक्स और लक्ष्य।
- अवसर 1, अवसर 2 और अवसर 3 ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन और संबंधित जोखिम।
- चूंकि प्रकटीकरण को समग्र परितंत्र के साथ-साथ विकसित करने की परिकल्पना की गई है, इसलिए कार्यान्वयन के लिए प्रयोज्यता और समयसीमा में भी छूट प्रदान की गई है। प्रकटीकरण उचित आंतरिक नियंत्रण आकलन के अधीन है और निदेशक मंडल या बोर्ड की एक समिति द्वारा उनकी समीक्षा करने की आवश्यकता है।

3.13 जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों पर प्रकटीकरण ढांचा

III.21 जलवायु-संबंधी जोखिमों से आरई पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिससे वित्तीय स्थिरता पर भी असर होगा। जलवायु परिवर्तन जोखिमों के आकलन और न्यूनीकरण के लिए दक्षता और संरचना विकसित करने के लिए आरई हेतु एक विस्तृत, सुसंगत और तुलनीय प्रकटीकरण ढांचा महत्वपूर्ण है। 28 फरवरी 2024 को रिज़र्व बैंक ने हितधारकों से टिप्पणियाँ या प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों पर एक मसौदा प्रकटीकरण ढांचा जारी किया (बॉक्स III.2)।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

3.14 जमाराशि स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी-डी) के लिए विवेकपूर्ण दिशानिर्देश

III.22 एनबीएफसी की तुलना में एचएफसी-डी को जमा स्वीकृति के संबंध में शिथिल विवेकपूर्ण मापदंडों के अधीन रखा गया। चूंकि एनबीएफसी की सभी श्रेणियों में जमाराशि स्वीकृति से जुड़ी विनियामक चिंताएं समान हैं, इसलिए एचएफसी के दिशानिर्देशों को एनबीएफसी के साथ संरेखित करने के लिए 12 अगस्त 2024 को संशोधित विनियम जारी किए गए। एचएफसी-डी को सार्वजनिक जमाराशियों पर न्यूनतम चल आस्तियाँ बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसे 13 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। एचएफसी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों की मात्रा की अधिकतम सीमा को उनकी निवल स्वाधिकृत निधियों के 3 गुना से घटाकर 1.5 गुना कर दिया गया है। इसके अलावा, संशोधित सीमा से अधिक जमाराशि रखने वाले एचएफसी-डी को नई सार्वजनिक जमाराशियाँ स्वीकार करने या मौजूदा जमा को नवीनीकृत करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि वे संशोधित सीमा के अनुरूप न हों। मौजूदा अतिरिक्त जमाराशियों को परिपक्वता अवधि तक जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। एचएफसी-डी की सार्वजनिक जमाराशियों की अधिकतम अवधि भी 120 महीने

[7] अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानक जैसे कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक एस2 जलवायु संबंधी प्रकटीकरण और बैंकिंग पर्यवेक्षण की बासेल समिति का जलवायु प्रकटीकरण के संबंध में परामर्शी दस्तावेज़।

से घटाकर 60 महीने कर दी गई है तथा 60 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली मौजूदा जमाराशियों की उनकी मौजूदा पुनर्भुगतान प्रोफ़ाइल के अनुसार वापसी करनी होगी। इसके अतिरिक्त, एक पृथक परिपत्र के माध्यम से एचएफसी की कुछ आस्तियों के लिए लागू जोखिम भार की भी समीक्षा की गई और उन्हें संशोधित किया गया।

3.15 *इरादतन और बड़े चूककर्ता*

III.23 इरादतन और बड़े चूककर्ताओं पर मौजूदा अनुदेशों की समीक्षा की गई और 30 जुलाई 2024 को अंतिम मास्टर निदेश जारी किए गए। एससीबी, अनुसूचित यूसीबी, एचएफसी और एआईएफआई के अलावा, इस ढांचे को एनबीएफसी-मध्य स्तर और उससे ऊपर के स्तरों तथा टियर 3 और 4 में गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी), एलएबी और आरआरबी तक विस्तारित किया गया है। इरादतन चूककर्ताओं के वर्गीकरण की प्रक्रिया को ऐसे सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और सूचनाओं के प्रकटीकरण को शामिल करके परिष्कृत किया गया है, जिन पर 'कारण बताओ नोटिस' आधारित है, पहचान समिति के आदेश पर समीक्षा समिति के लिए लिखित प्रतिनिधित्व का प्रावधान और समीक्षा समिति द्वारा उधारकर्ता के लिए व्यक्तिगत सुनवाई का प्रावधान है। इरादतन चूक का शीघ्र पता लगाने और पहचान करने के लिए, एनपीए के रूप में वर्गीकरण के छह महीने के भीतर ₹25 लाख और उससे अधिक की बकाया राशि वाले सभी एनपीए खातों की समीक्षा निर्धारित की गई है। इन निदेशों में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) प्रक्रिया के तहत समाधान प्रक्रिया या ऋण समनुदेशन के बाद जान-बूझकर ऋण न चुकाने वाले खातों के उपचार पर भी स्पष्टता प्रदान की गई है।

3.16 एनबीएफसी के लिए संकेंद्रण मानदंडों का सामंजस्य

III.24 वृहत एक्सपोजर ढांचे (एलईएफ) संबंधी दिशानिर्देश, उच्च स्तर में शामिल एनबीएफसी (एनबीएफसी-यूएल) पर लागू हैं। हालांकि, मध्य स्तर (एनबीएफसी-एमएल) में शामिल एनबीएफसी, क्रेडिट या निवेश संकेंद्रण मानदंडों के अधीन होते हैं। एनबीएफसी के मध्य संकेंद्रण मानदंडों के निर्धारण में एकरूपता और संगतता सुनिश्चित करने के लिए, मौजूदा संकेंद्रण मानदंडों में 15 जनवरी 2024 को संशोधन जारी किया गया था। वर्तमान में अनुमत ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) के अतिरिक्त, ये संशोधन एनबीएफसी-एमएल द्वारा कुल जोखिम[8] को कम करने के लिए अतिरिक्त लिखतों के उपयोग की अनुमति देते हैं। अब एनबीएफसी-मध्य स्तर (बीएल) को क्रेडिट/निवेश संकेंद्रण सीमाएं तय करने के लिए एक बोर्ड-अनुमोदित आंतरिक नीति लागू करने की आवश्यकता होगी।

3.17 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को सूचना प्रस्तुत करना

III.25 पूर्व दिशानिर्देशों के अनुसार, एआरसी के लिए यह निर्धारित किया गया था कि वे कम-से-कम एक सीआईसी के सदस्य बनें और उस सीआईसी को ऋण संबंधी सूचना प्रदान करें। एआरसी पर लागू सीआईसी से संबंधित दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा के बाद, रिज़र्व बैंक ने 10 अक्तूबर 2024 को एआरसी द्वारा सीआईसी को सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में एक परिपत्र जारी किया। ऐसा एआरसी के लिए सीआईसी से संबंधित दिशानिर्देशों को बैंकों और एनबीएफसी के लिए लागू दिशानिर्देशों के साथ संरेखित करने तथा बैंकों और एनबीएफसी से एआरसी को ऋण हस्तांतरण के बाद उधारकर्ताओं के क्रेडिट इतिहास को ट्रैक करने के लिए किया गया था। इस परिपत्र की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं; (i) एआरसी को सभी चार सीआईसी का सदस्य बनने की सलाह देना; (ii) एआरसी और सीआईसी के बीच सहमति के अनुसार एआरसी द्वारा सीआईसी को पाक्षिक आधार पर या कम अंतराल पर डेटा प्रस्तुत करने का

[8] इनमें शामिल हैं: ए) अग्रिमों पर उधारकर्ता की ओर से संपार्श्विक के रूप में धारित नकद मार्जिन/जमानती राशि/प्रतिभूति जमाराशि के लिए प्रतितुलन (सेट ऑफ) का अधिकार उपलब्ध है; बी) केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत दावे, जो पूंजी गणना के लिए 0 प्रतिशत जोखिम भार को आकर्षित करते हैं; सी) राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत दावे, जो पूंजी गणना के लिए 20 प्रतिशत जोखिम भार को आकर्षित करते हैं; डी) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई), निम्न आय आवास के लिए क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटीएलआईएच) की क्रेडिट गारंटी योजनाओं और राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के तहत एकल योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई गारंटियां, कतिपय शर्तों को पूरा करने के अधीन हैं।

निर्धारण करना; (iii) सीआईसी से अस्वीकृत आंकड़ों की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर अस्वीकृत डेटा को सुधारने का निर्देश; (iv) नियमित रूप से डेटा प्रस्तुत करने/अद्यतन करने और ग्राहक शिकायत निवारण के संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं का एआरसी तक विस्तार।

सहकारी बैंक

3.18 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचा

III.26 रिज़र्व बैंक ने 26 जुलाई 2024 को शहरी सहकारी बैंकों के लिए मौजूदा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढाँचे (एसएएफ) के स्थान पर, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढाँचा प्रस्तुत किया। यह ढाँचा 01 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा तथा सर्व-समावेशी निदेशों के अंतर्गत शामिल शहरी सहकारी बैंकों को छोड़कर, टियर 2, टियर 3 और टियर 4 श्रेणियों के तहत शामिल सभी शहरी सहकारी बैंकों पर लागू होगा। हालांकि, पीसीए ढाँचे के अंतर्गत टियर 1 यूसीबी शामिल नहीं हैं, लेकिन वे मौजूदा पर्यवेक्षी ढाँचे के तहत बढ़ी हुई निगरानी के अधीन होंगे। ढाँचे के अनुसार, वित्तीय रूप से कमज़ोर शहरी सहकारी बैंकों को अपनी वित्तीय स्थिति को बहाल करने के लिए समय पर सुधारात्मक उपाय शुरू और लागू करने होंगे। इस ढांचे के तहत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए पहली जोखिम सीमा में विनियामक आवश्यकता से (250 आधार अंकों तक) कम सीआरएआर; निवल एनपीए का 6.0 प्रतिशत से अधिक लेकिन 9.0 प्रतिशत से कम होना; और लगातार दो वर्षों के दौरान निवल घाटा होना शामिल है।

3.19 अशोध्य और संदिग्ध कर्ज रिज़र्व का विवेकपूर्ण उपाय

III.27 कई सहकारी बैंकों ने संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियमों के प्रावधानों के तहत या विवेकपूर्ण विचार कर, लाभ और हानि (पी एंड एल) खाते में व्यय की पहचान कर या निवल लाभ से विनियोजन के माध्यम से अशोध्य और संदिग्ध कर्ज रिज़र्व (बीडीडीआर) को सृजित किया है। निवल लाभ से विनियोजन के मामले में, जब इसका उपयोग एनपीए को समायोजित करने के लिए किया जाता है तो इससे लागू लेखांकन मानकों का उल्लंघन होता है। इसके अलावा, बैंकों में बीडीडीआर का उपचार अलग-अलग होता है और यह कई मामलों में लागू विनियामक मानदंडों से भिन्न पाया गया है। तदनुसार, व्यवहार में एकरूपता लाने के उद्देश्य से बीडीडीआर पर संशोधित अनुदेश जारी किए गए, जिनमें यह निर्धारित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 से सभी विनियामक प्रावधानों को अनिवार्य रूप से लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में प्रभारित किया जाएगा। इसके अलावा, निवल लाभ से विनियोजन करके मार्च 2024 के अंत तक सृजित किए गए बीडीडीआर का संशोधित व्यवहार, जो वास्तव में विनियामक प्रावधानों का प्रतिनिधित्व करता है, को भी लेखांकन मानक अनुरूपी दृष्टिकोण में संक्रमण की सुविधा के लिए एकबारगी उपाय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

3.20 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शहरी सहकारी बैंकों को शामिल करने के लिए पात्रता मानदंड

III.28 रिज़र्व बैंक ने 17 जनवरी 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में यूसीबी को शामिल करने के लिए पात्रता मानदंडों को संशोधित किया। वर्ष 2023 में भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के अलावा, ऐसे यूसीबी जिनका सीआरएआर न्यूनतम विनियामकीय आवश्यकता से कम-से-कम 3 प्रतिशत अधिक है और जिनके संदर्भ में कोई प्रमुख विनियामकीय और पर्यवेक्षी चिंता नहीं है, उनको दूसरी अनुसूची में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

4. प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष

III.29 केंद्रीय बैंकों को वित्तीय संस्थाओं में प्रौद्योगिकीय उन्नति को प्रोत्साहित करने और उन्हें असुरक्षाओं से बचाने के साथ, संतुलन बनाए रखने की संवेदनशील चुनौती का सामना करना पड़ता है। वित्तीय सेवाओं में जिम्मेदार नवाचार को प्रोत्साहित करने, दक्षता को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने विनियामकीय परीक्षण-स्थल/सैंडबॉक्स (आरएस) स्थापित किए हैं, जो नियंत्रित

विनियामकीय वातावरण में नए उत्पादों या सेवाओं का लाइव परीक्षण करने की अनुमति देते हैं। अब तक खुदरा भुगतान, सीमा-पार भुगतान, एमएसएमई उधार एवं वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण विषयों पर चार समूह पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें 90 उत्पादों का परीक्षण किया गया, जिनमें से 19 उत्पाद आरएस से सफलतापूर्वक स्वीकृत हुए हैं। वित्तीय क्षेत्र में मौजूदा चुनौतियों के लिए प्रौद्योगिकी संचालित नवोन्मेषी समाधानों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए रिज़र्व बैंक प्रत्येक वर्ष 'एचएआरबीआईएनजीईआर' (HaRBInger) नामक एक दीर्घावधि वैश्विक हैकथॉन का आयोजन भी करता है। वर्तमान में 'शून्य वित्तीय धोखाधड़ी' और 'दिव्यांग-अनुकूल होना' पर 'एचएआरबीआईएनजीईआर' जारी है।

4.1 *फिनटेक और एम-टेक रिपॉज़िटरी*

III.30 रिज़र्व बैंक ने 28 मई 2024 को फिनटेक रिपॉज़िटरी की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य फिनटेक संस्थाओं, उनकी गतिविधियों और प्रौद्योगिकी उपयोग के बारे में आवश्यक जानकारी एकत्र करना है। विनियमित और अविनियमित, दोनों फिनटेक संस्थाओं को रिपॉज़िटरी में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उसी दिन एक एम-टेक रिपॉज़िटरी का भी लोकार्पण किया गया, जो विभिन्न विनियमित संस्थाओं द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों [जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल), क्लाउड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर प्रौद्योगिकी और क्वांटम प्रौद्योगिकी] को अपनाने के बारे में जानकारी एकत्र करने पर केंद्रित है। ये सभी रिपॉज़िटरी फिनटेक पारितंत्र की प्रगति के प्रति बेहतर समझ को सक्षम बनाएँगी और उपयुक्त नीति दृष्टिकोण का समर्थन करेंगी।

4.2 *फिनटेक के लिए स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) की रूपरेखा*

III.31 फिनटेक क्षेत्र में स्व-विनियमन को प्रोत्साहित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 30 मई 2024 को फिनटेक क्षेत्र (एसआरओ-एफटी) में स्व-विनियामक संगठनों को मान्यता देने के लिए एक रूपरेखा की घोषणा की। ये एसआरओ आचार संहिता तैयार करने, अनुपालन की जांच करने और शिकायतों का निवारण करने के लिए उत्तरदायी होंगे। रूपरेखा में उद्योग संघों को एसआरओ-एफटी के रूप में मान्यता दिए जाने के मानदंड, उनकी गतिविधियों का दायरा, रिज़र्व बैंक के प्रति जिम्मेदारियां और अभिशासन संबंधी आवश्यकताओं को रेखांकित किया गया है। यह रूपरेखा एसआरओ के कार्यों को भी अनिवार्य बनाती है, जिनमें मानक-निर्धारण और विकासात्मक गतिविधियाँ शामिल हैं। फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पॉवरमेंट को एसआरओ-एफटी के रूप में मान्यता दी गई है।

4.3 *विनियामक आवेदन, मान्यता, और प्राधिकृति के लिए प्लेटफ़ॉर्म (प्रवाह)*

III.32 विनियामक आवेदन, मान्यता, और प्राधिकृति के लिए प्लेटफ़ॉर्म (प्रवाह) का शुभारंभ 28 मई 2024 को हुआ था। यह एक सुरक्षित और केंद्रीकृत वेब-आधारित पोर्टल है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति या संस्था रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किसी भी संदर्भ पर प्राधिकरण, लाइसेंस या विनियामकीय अनुमोदन प्राप्त कर सकती है। यह विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए कारोबारी सुगमता प्रदान करता है और यह निस्तारण के लिए निष्पादन समय को कम करेगा, जिससे विनियामकीय प्रक्रियाओं में दक्षता बढ़ेगी।

4.4 *रिटेल डॉयरेक्ट मोबाइल एप्लिकेशन*

III.33 आरबीआई रिटेल डॉयरेक्ट योजना नवंबर 2021 में शुरू की गई, जो वैयक्तिक निवेशकों को रिज़र्व बैंक के साथ गिल्ट खाते बनाए रखने और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने में सक्षम बनाती है। सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों के लिए पहुंच को और भी आसान बनाने और सुविधा बढ़ाने के लिए 28 मई 2024 को 'आरबीआई रिटेल डॉयरेक्ट' मोबाइल एप्लिकेशन का सूत्रपात किया गया। इस मोबाइल ऐप में कई उपयोगकर्ता-अनुकूल विशेषताएं हैं, जिनमें एकल साइन-ऑन सुविधा भी शामिल है, जो एक ही लॉग-इन क्रिडेंशियल का उपयोग करके प्राथमिक और द्वितीयक बाजार के बीच सहज नेविगेशन को सक्षम बनाती है।

5. वित्तीय बाजार

III.34 वित्तीय बाजार, संसाधनों के कुशल आबंटन और जोखिमों के वितरण की सुविधा प्रदान करके अर्थव्यवस्था की वृद्धि और

विकास का समर्थन करते हैं। सुरक्षित और स्थिर वित्तीय बाजार विकसित करना रिज़र्व बैंक का एक प्रमुख नीतिगत उद्देश्य है। रिज़र्व बैंक द्वारा विचाराधीन अवधि के दौरान किए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, मुद्रा बाजार उत्पादों पर निदेशों को युक्तिसंगत बनाना; विदेशी मुद्रा जोखिमों की बचाव-व्यवस्था (हेजिंग) के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा; अकेंद्रीय रूप से समाशोधित डेरिवेटिव (एनसीसीडी) लेनदेनों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के विनिमय को अनिवार्य बनाना; तथा वित्तीय बाजारों में एसआरओ की मान्यता के लिए ढांचा तैयार करना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, विनियमित संस्थाओं के एक बड़े समूह को शामिल करने के लिए, तयशुदा लेनदेन प्रणाली-ऑर्डर मिलान (एनडीएस-ओएम) प्लैटफॉर्म तक सीधी पहुँच का विस्तार किया गया।

5.1 एक वर्ष तक की मूल या प्रारंभिक परिपक्वता वाले वाणिज्यिक पत्र और अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी)

III.35 एक वर्ष तक की मूल या प्रारंभिक परिपक्वता वाले वाणिज्यिक पत्रों और अपरिवर्तनीय डिबेंचर पर मौजूदा निदेशों की समीक्षा की गई। दिनांक 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी मास्टर निदेशों ने अन्य बातों के साथ-साथ डिफ़ॉल्ट हैंडलिंग प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाया, निर्गम प्रक्रिया को मानकीकृत किया तथा सीपी एवं एनसीडी के लिए प्रकटीकरण आवश्यकता के संदर्भ में मजबूती प्रदान की। इन संशोधनों से विभिन्न मुद्रा बाजार उत्पादों में एकरूपता आने की उम्मीद है, जिससे जारीकर्ताओं, निवेशकों और अन्य भागीदारों को लाभ होगा।

5.2 विदेशी मुद्रा जोखिमों की बचाव-व्यवस्था (हेजिंग)

III.36 विदेशी मुद्रा जोखिमों की हेजिंग के लिए विनियामक ढांचे को जनवरी 2024 में संशोधित किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुमत विदेशी मुद्रा (एफएक्स) डेरिवेटिव उत्पादों के समूह का विस्तार किया गया, उपयोगकर्ता वर्गीकरण ढांचे को परिष्कृत किया गया तथा काउंटर पर (ओटीसी) और एक्सचेंज में खरीदे-बेचे गए सभी प्रकार के विदेशी मुद्रा लेनदेनों के संबंध में पिछले अनुदेशों को एक ही मास्टर निदेश के तहत समेकित किया गया। इससे परिचालन दक्षता में वृद्धि होगी और विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव तक पहुंच आसान बनेगी, विशेषकर कम एक्सपोजर वाले उपयोगकर्ताओं के लिए। यह आवश्यक जोखिम प्रबंधन क्षमताओं से युक्त उपयोगकर्ताओं के एक बड़े समूह को अपने जोखिमों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में भी सक्षम बनाएगा।

5.3 व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए मार्जिन

III.37 मौजूदा निदेशों में भारत में निवासी व्यक्ति और भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के बीच अनुमत व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए मार्जिन की पोस्टिंग और वसूली की अनुमति दी गई थी। अकेंद्रीय रूप समाशोधित डेरिवेटिव के लिए मार्जिन आवश्यकताओं पर ओटीसी डेरिवेटिव सुधारों के कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए, इन निदेशों को 8 मई 2024 को संशोधित किया गया ताकि अन्य बातों के साथ-साथ, उपयुक्त संस्थाओं द्वारा भारत में और भारत से बाहर मार्जिन के आदान-प्रदान की अनुमति दी जा सके। यह भारतीय ढांचे को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाता है। भारतीय बैंकों को विदेश स्थित अपनी शाखाओं और आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) के व्युत्पन्नी लेनदेनों के लिए मार्जिन पोस्ट करने और संग्रह करने की भी अनुमति है।

5.4 ट्रेड रिपॉज़िटरी को विदेशी मुद्रा नकदी/ टीओएम/ स्पॉट लेनदेन की रिपोर्टिंग

III.38 प्राधिकृत व्यापारियों को उनके द्वारा सीधे या अपनी विदेशी संस्थाओं के माध्यम से किए गए सभी ओटीसी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं और विदेशी मुद्रा ब्याज दर डेरिवेटिव संविदाओं की रिपोर्टिंग भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) की ट्रेड रिपॉज़िटरी (टीआर) को करना अनिवार्य है। सभी विदेशी मुद्रा लिखतों के लिए टीआर में लेनदेन संबंधी डेटा की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 8 नवंबर 2024 को चरणबद्ध तरीके से विदेशी मुद्रा नकदी/ टीओएम/ स्पॉट ट्रेड को शामिल करने के लिए रिपोर्टिंग अपेक्षा का विस्तार किया। यह उपाय विदेशी मुद्रा बाजारों के लिए अधिक पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी की सुविधा प्रदान करेगा।

6. उपभोक्ता संरक्षण

III.39 उपभोक्ता संरक्षण पर रिज़र्व बैंक की नीतिगत पहलों का उद्देश्य ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि, जागरूकता बढ़ाना तथा बैंकों और रिज़र्व बैंक में शिकायत निवारण तंत्र को मज़बूत बनाना है। उपभोक्ता जागरूकता पहलों के एक भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक पोस्टर और लघु फिल्में प्रकाशित करने, वित्तीय साक्षरता सप्ताहों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने और वित्तीय साक्षरता के लिए केंद्रों (सीएफएल) और वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) की स्थापना करने सहित कई पहलें कर रहा है। रिज़र्व बैंक ने पुस्तिका श्रृंखला को जारी रखते हुए वर्ष 2024 में 'दि अलर्ट फ़ैमिली' प्रकाशित की, जो पिछली पुस्तिकाओं से अलग वित्तीय धोखाधड़ी से आगे बढ़ते हुए विभिन्न बैंकिंग सेवाओं और सुविधाओं के संबंध में जनता का मार्गदर्शन करती है।

6.1 विनियमित संस्थाओं के लिए आंतरिक लोकपाल (आईओ)

III.40 रिज़र्व बैंक ने 29 दिसंबर 2023 को आंतरिक लोकपाल तंत्र में विभिन्न विनियमित संस्थाओं पर लागू अनुदेशों को सुसंगत बनाने के लिए मास्टर निदेश जारी किए। इससे शिकायतों को आगे आंतरिक लोकपाल तक बढ़ाने की समय-सीमा, आईओ तक शिकायतें भेजने से छूट, आईओ की अस्थायी अनुपस्थिति, आईओ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और रिपोर्टिंग प्रारूपों के अद्यतनीकरण जैसे मामलों में एकरूपता आयी है, साथ ही उप आंतरिक लोकपाल का पद भी शुरू किया गया है। इन अनुदेशों से अनुपालन में आसानी के अलावा, ग्राहक शिकायतों की अस्वीकृति से पहले विनियमित संस्था के भीतर शीर्ष स्तरीय प्राधिकारी द्वारा समीक्षा करके तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने की उम्मीद है।

7. ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन

III.41 राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति (एनएसएफआई) 2019-24, भारत के वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता नीतियों के विज़न और प्राथमिक लक्ष्यों को रेखांकित करती है, जिनका उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र में सभी हितधारकों के बीच व्यापक सहयोग के माध्यम से गति बनाए रखते हुए उनके प्रभाव को बढ़ाना है। पिछले पांच वर्षों में, इस कार्यनीति ने देश में व्यक्तियों और उद्यमों के लिए वित्तीय समावेशन को और अधिक मजबूत करने में सहायता की है तथा डिजिटल वित्तीय सेवाओं के प्रसार और अंगीकरण पर अधिक महत्व दिया है।

7.1 सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को उधार देना

III.42 रिज़र्व बैंक ने 11 जून 2024 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को उधार देने संबंधी मास्टर निदेशों को अद्यतन किया, जिसमें यह अनिवार्य किया गया कि एमएसई उधारकर्ताओं को ₹25 लाख तक के ऋण देने के लिए क्रेडिट संबंधी निर्णय लेने की समय-सीमा 14 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस सीमा से अधिक राशि के ऋणों के लिए समय-सीमा, बोर्ड द्वारा अनुमोदित मंजूरी के लिए समय मानदंडों के अनुसार होगी।

III.43 इसके अलावा, एमएसई समूहों को अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट क्लस्टर/रों के रूप में परिभाषित किया गया है। इन दिशानिर्देशों में उन कार्यकलापों की सांकेतिक सूची दी गई है जो क्रेडिट लिंकेज का गठन करते हैं, जैसे कि इन समूहों के भीतर एमएसई इकाइयों की ऋण आवश्यकताओं का आकलन करना और या तो उनकी ऋण आवश्यकताओं को सीधे पूरा करना अथवा ऋण प्रस्तावों के लिए क्षेत्र में अन्य बैंकों के साथ उनकी सहबद्धता को सुविधाजनक बनाना।

7.2 संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण की सीमा में वृद्धि

III.44 कृषि निविष्टि लागत और समग्र मुद्रास्फीति में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 6 दिसंबर 2024 को लघु और सीमांत किसानों के लिए ऋण उपलब्धता को और अधिक बढ़ाने हेतु प्रति उधारकर्ता संपार्श्विक-मुक्त कृषि ऋण की सीमा को ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख करने की घोषणा की।

7.3 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल)

III.45 रिज़र्व बैंक ने 1 जुलाई 2015 को पीएसएल मानदंडों के दायरे का विस्तार करते हुए इनमें सौर आधारित विद्युत जेनरेटर, बायोमास-आधारित विद्युत जेनरेटर, पवन-चक्कियाँ, माइक्रो-हाइड्रल संयंत्र तथा गैर-परंपरागत ऊर्जा (एनसीई) आधारित सार्वजनिक उपयोगिताओं यथा स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम तथा दूरदराज के गांवों में विद्युतीकरण हेतु उधारकर्ताओं के लिए ₹15 करोड़ तक के ऋण शामिल किए थे। यह सीमा बाद में 4 सितंबर 2020 को ₹15 करोड़ से बढ़ाकर ₹30 करोड़ प्रति उधारकर्ता कर दी गई। इन नीतिगत मध्यक्षेपों के साथ अन्य नीतियों के संगम ने गैर-पारंपरिक ऊर्जा (एनसीई) क्षेत्र के लिए उधार को बढ़ावा दिया है (चार्ट III.2 और बॉक्स III.3)।

चार्ट III.2: ऊर्जा क्षेत्र (बिजली, गैस और जल) के लिए कुल ऋण में से एनसीई क्षेत्र हेतु ऋण का हिस्सा

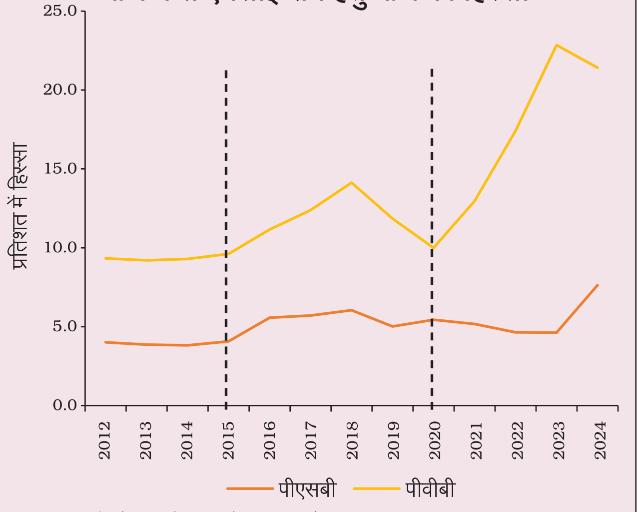

टिप्पणी: आँकड़े मार्च के अंत से संबंधित हैं।
स्रोत: मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियाँ, आरबीआई।

बॉक्स III.3: गैर-परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र के लिए बैंक ऋण

रिज़र्व बैंक की नीतिगत पहलों का गैर-परंपरागत ऊर्जा (एनसीई) क्षेत्र में प्रभाव विश्लेषण, दिसंबर 2014 से दिसंबर 2023 तक के बैंक-वार तिमाही डेटा का उपयोग करके पैनल प्रतिगमन ढांचे में किया गया है।

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 Y_{it-1} + \beta_2\, GNPA_{NCE\,it-1} + \beta_3\, Policy_t + \beta_4\,(Policy_t * Bank\ Group_{it}) + \beta_5\, CDR_{it} + \beta_6 GDPgrowthrate_{t-1} + \epsilon_{it}$$

जहाँ तिमाही t में आश्रित चर (Y_{it}) ऊर्जा क्षेत्र को दिए गए कुल ऋण में से बैंक i द्वारा एनसीई को दिए गए ऋण का हिस्सा है; तिमाही t-1 में एनसीई क्षेत्र में बैंक i का जीएनपीए अनुपात $GNPA_{NCE\,it-1}$ है; डमी चर $Policy\ 2015_t$, ति1:2020-21 की तुलना में ति2:2015-16 के लिए 1 का मान और अन्यथा शून्य का मान लेता है; डमी चर $Policy\ 2020_t$ के लिए ति3: 2023-24 की तुलना में ति2: 2020-21 के लिए 1 का मान और अन्यथा शून्य का मान लिया जाता है; पॉलिसी डमी और बैंक समूह डमी के बीच $Policy_t * Bank\ Group_{it}$ इंटरैकशन टर्म है (पीएसबी के लिए 0, पीवीबी के लिए 1); तिमाही t में CDR_{it} बैंक i का ऋण-जमा अनुपात है; $GDPgrowthrate_{t-1}$, एक तिमाही के अंतराल के साथ सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर है, जिसे एक समष्टि-आर्थिक उपाय के रूप में सम्मिलित किया गया है। विनिर्देशों में डमी चर के धनात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण गुणांक दर्शाते हैं कि दोनों नीतिगत मध्यक्षेप, ऊर्जा क्षेत्र के लिए कुल ऋण में से एनसीई क्षेत्र के लिए ऋण के अंश में वृद्धि से जुड़े थे (सारणी III.3.1)। वर्ष 2015 का नीति मध्यक्षेप पीएसबी के लिए प्रभावी था, जबकि 2020 संबंधी नीति ने एनसीई क्षेत्र के लिए पीवीबी के ऋण को बढ़ाने में मदद की (मॉडल 2)। समष्टि-आर्थिक प्रभावों (मॉडल 3) को नियंत्रित करने के बाद भी प्रतिगमन परिणाम सुदृढ़ बने हुए हैं। इस प्रकार, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र

सारणी III.3.1: प्रतिगमन परिणाम

	आश्रित चर (Y) = कुल ऊर्जा क्षेत्र के लिए ऋण (एनसीई/ टीईसी) में से गैर-परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र के लिए बैंक ऋण का हिस्सा		
चर	(1)	(2)	(3)
एनसीई/ टीईसी (L1)	0.825***	0.802***	0.801***
	(0.0613)	(0.0536)	(0.0541)
एनसीई जीएनपीए अनुपात (L1)	-0.0139	-0.0255	-0.0249
	(0.0281)	(0.0297)	(0.0293)
नीति 2015	0.0079	0.0069**	0.0069**
	(0.0064)	(0.0029)	(0.0029)
नीति 2020	0.0219**	0.0007	0.0011
	(0.0090)	(0.0050)	(0.0047)
नीति 2015 * पीवीबी		0.0045	0.0044
		(0.0100)	(0.0100)
नीति 2020 * पीवीबी		0.0406**	0.0406**
		(0.0158)	(0.0158)
ऋण-जमा अनुपात		0.0007	0.0007
		(0.0008)	(0.0008)
जीडीपी वृद्धि दर (L1)			0.0002
			(0.0003)
स्थिरांक	0.0202*	-0.0298	-0.0317
	(0.0114)	(0.0678)	(0.0659)
प्रेक्षण	1,095	1,095	1,095
आर स्क्वायर्ड	0.688	0.693	0.693
बैंकों की संख्या	33	33	33
बैंक संबंधी नियत प्रभाव	हाँ	हाँ	हाँ

टिप्पणियाँ: 1) कोष्ठक में सुदृढ़ मानक त्रुटियाँ
2) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
3) मॉडल 2 और 3 में पीएसबी आधारभूत श्रेणी है; इसलिए, नीति चरों के गुणांक (यथा नीति 2015 और नीति 2020), एनसीई क्षेत्र के लिए पीएसबी के ऋण पर नीतिगत प्रभाव दर्शाते हैं।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

(जारी)

के संदर्भ में नीति परिवर्तन से एनसीई क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, यह स्वीकारना आवश्यक है कि इस चरण में सरकार द्वारा हरित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण नीतियां और प्रोत्साहन भी देखे गए। ये परिणाम विभिन्न नीति उपायों और प्रोत्साहनों के संयुक्त प्रभाव को दर्शाते हैं।।

संदर्भ:

पोलज़िन, एफ., मिगेंड्ट, एम., ताउबे, एफए, और वॉन फ्लोटो, पी. (2015)। पब्लिक पालिसी इन्फ्लुएंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी इंवेस्टमेंट्स-ए पैनल डेटा स्टडी अक्रॉस ओईसीडी कन्ट्रीज। *एनर्जी पालिसी* वॉल. 80, 98-111।

8. भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

III.46 रिज़र्व बैंक अभिनव भुगतान उत्पादों की शुरूआत करने के साथ-साथ, भुगतान और निपटान प्रणाली इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान स्थापित करने में अग्रणी रहा है। भारत की त्वरित भुगतान प्रणाली (एफपीएस), एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) की वैश्विक पहुंच विभिन्न देशों के साथ साझेदारी के माध्यम से लगातार बढ़ रही है।

8.1 गैर-बैंक भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) के लिए साइबर सुदृढ़ता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा उपाय

III.47 रिज़र्व बैंक ने 30 जुलाई 2024 को गैर-बैंक पीएसओ के लिए निदेश जारी किए, जिनका उद्देश्य उनकी सूचना सुरक्षा तत्परता और साइबर सुदृढ़ता को बढ़ाना है। ये निदेश सभी प्राधिकृत गैर-बैंक पीएसओ पर लागू होंगे और इन्हें 1 अप्रैल 2025 से बड़ी संस्थाओं से शुरू करके चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

8.2 भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस)

III.48 बीबीपीएस एक एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली है, जो ग्राहकों को अंतर-परिचालनीय और सुविधाजनक भुगतान सेवाएँ प्रदान करती है। भुगतान पारितंत्र के बदलते स्वरूप के आलोक में, रिज़र्व बैंक ने 29 फरवरी 2024 को एक संशोधित विनियामक ढाँचा जारी किया। कुछ प्रमुख बदलावों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी प्राधिकृत गैर-बैंक भुगतान एग्रीगेटर के लिए भागीदारी मानदंड का विस्तार करना; अंतर-परिचालनीयता को बढ़ाने के उपाय; ग्राहक सुरक्षा उपाय और गैर-बैंक भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयों (बीबीपीओयू) के लिए एस्क्रो खाते की आवश्यकता शामिल हैं।

8.3 डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए वैकल्पिक अधिप्रमाणन व्यवस्था पर रूपरेखा

III.49 रिज़र्व बैंक ने 31 जुलाई 2024 को डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए वैकल्पिक अधिप्रमाणन व्यवस्था पर मसौदा रूपरेखा जारी की। रूपरेखा के अनुसार, सभी डिजिटल भुगतान लेनदेनों को अतिरिक्त अधिप्रमाणन कारक/कों (एएफए) के साथ प्रमाणित किया जाएगा, जिनमें से किसी एक अधिप्रमाणन कारक को गतिशील रूप से सृजित किया जाना चाहिए[9]। इसके अतिरिक्त, किसी लेनदेन के लिए उपयुक्त एएफए को तय करने के लिए, ग्राहक और/या लाभार्थी के जोखिम प्रोफ़ाइल, लेनदेन मूल्य और उद्भव-चैनल जैसे कारकों के आधार पर जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

8.4 यूपीआई के माध्यम से पूर्व-स्वीकृत ऋण-व्यवस्था (क्रेडिट लाइन)

III.50 रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2023 में पूर्व-स्वीकृत ऋण-व्यवस्था को यूपीआई के माध्यम से लिंक करने तथा भुगतान बैंकों (पीबी), लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा इसका वित्तपोषण खाते के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी थी। रिज़र्व बैंक ने 6 दिसंबर 2024 को घोषणा की कि एसएफबी को भी इस सुविधा का विस्तार करने की अनुमति दी जाएगी। इससे वित्तीय समावेशन को और मजबूती मिलेगी और औपचारिक ऋण में वृद्धि होगी, विशेष रूप से 'पहली बार ऋण लेने वाले' ग्राहकों के लिए।

[9] भुगतान की शुरुआत होने के बाद गतिशील रूप से सृजित कारक उत्पन्न होता है, जो लेनदेन-विशिष्ट होता है तथा इसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता।

9. समग्र मूल्यांकन

III.51 प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषों, उपभोक्ताओं की बदलती पसंद और वैकल्पिक कारोबारी मॉडलों के उद्भव से प्रेरित होकर, वित्तीय परिदृश्य में वैश्विक स्तर पर और साथ ही भारत में भी नाटकीय परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जहाँ इन घटनाक्रमों ने प्रतिस्पर्धा और सहयोग को बढ़ावा दिया है, वहीं वे ग्राहक सुरक्षा और पर्याप्त विनियामकीय निगरानी के बारे में चिंताएँ भी बढ़ाते हैं। वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने सक्रिय और विवेकपूर्ण विनियामकीय और पर्यवेक्षी नीतियों को आगे भी जारी रखा, जिनमें विनियमित संस्थाओं की सुदृढ़ता, उपभोक्ता संरक्षण, शिकायत निवारण तंत्र, वित्तीय समावेशन, जलवायु जोखिमों के न्यूनीकरण, डिजिटलीकरण और नवोन्मेष को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। विनियमित संस्थाओं (आरई) की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति ने उन्हें प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए अर्थव्यवस्था की उत्पादक गतिविधियों का वित्तपोषण करने में सक्षम बनाया। अपने विनियामक ढांचों में परामर्शात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए और भारतीय बैंकिंग प्रथाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाते हुए, रिज़र्व बैंक वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने और वित्तीय क्षेत्र की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य एक लचीले और मजबूत विनियामक ढांचे के माध्यम से एक सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र को तराशना है ताकि स्थिरता के साथ संवृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके।